## बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

**कार्पोरेट कार्यालय :** सेरेब्रम आईटी पार्क, बी–2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411 014,
**शाखा कार्यालय** : 14वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

### कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4), प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1), (परिशिष्ट–IV) के तहत

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार/सह कर्जदार/गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की ओर से उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर बीएचएफएल की इसमें वर्णित राशि(यों) तथा उस पर भावी ब्याज के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

| कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम (एलएएन नंबर, शाखा का नाम) | प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति) | मांग सूचना तिथि और राशि | कब्जा की तिथि |
|---|---|---|---|
| शाखा : दिल्ली<br>(एलएएन नंबर H401HLP0424610)<br>1. गुरजिंदर सिंह बावा (कर्जदार)<br>पता : डब्ल्यूजैड–185, अपर ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर 3, 4, लाजवंती गार्डन, जनकपुरी, नांगल राया, दिल्ली–110046<br>अन्य पता : डब्ल्यूजैड–151–ए, प्लॉट नंबर 22 ए पर निर्मित, खसरा नंबर 201/1, 210 तथा 211, ग्राम नांगल राया, लाजवंती गार्डन, नई दिल्ली–110046<br>2. कंवलजीत कौर (सह–कर्जदार)<br>पता : डब्ल्यूजैड–185, अपर ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर 3, 4, लाजवंती गार्डन, जनकपुरी, नांगल राया, दिल्ली–110046 | निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : डब्ल्यूजैड–151–ए, प्लॉट नंबर 22 ए पर निर्मित, क्षेत्रफल परिमाप 60 वर्ग गज यानी 50.116 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 209/1, 210 तथा 211, ग्राम नांगल राया, लाजवंती गार्डन, नई दिल्ली–110046<br>पूरब : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : 15 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति | 21–11–2023<br>रू. 48,21,010/–<br>(रूपए अड़तालीस लाख इक्कीस हजार दस मात्र) | 14–02–2024 |

तिथि : 17–02–2024 स्थान : दिल्ली/एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

---

## कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

**पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :–** 502, टावर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013
**सर्किल कार्यालय :–** 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

### परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीसीएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

| क्र. सं. | कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम | प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति) | मांग सूचना तिथि और राशि | कब्जा की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (हमारी मयूर विहार शाखा की ऋण खाता संख्या LNMEMAY000038594)<br>अनिल कुमार (कर्जदार)<br>श्रीमती अंजलि (सह–कर्जदार) | **सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** आवासीय सम्पत्ति सं. बीएफ–205, अंसल ईस्ट एंड, क्षेत्रफल परिमाप 147.89 वर्ग मीटर, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौहद्दी निम्नानुसार :– पूरब : प्लॉट नंबर बीएफ–204, पश्चिम : 9 मीटर चौड़ी रोड, उत्तर : 9 मीटर चौड़ी रोड, दक्षिण : प्लॉट नंबर बीएफ–206 | 07–12–2023<br>रू.<br>42,45,258/– | 15–02–2024 |

स्थान : दिल्ली/एनसीआर तिथि : 17–02–2024 हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल)

---

## पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय – खिचड़ीपुर, दिल्ली–100191

विद्यालय में सत्र 2024–25 के लिए अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के लिए योग्य एवं अनुभवी उम्मीदवारों को निम्न पदों के लिए निर्दिष्ट तिथि पर तत्काल साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है। प्रतिभागी मूल प्रमाण पत्रों, सत्यापित प्रतियों एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज़ के रंगीन फोटो सहित उपस्थित हो। योग्यता विवरण के लिए केन्द्रीय विद्यालय खिचड़ीपुर की वैबसाइट www.khicharipur.kvs.ac.in में देखें

| क्र.सं. | पद का नाम एंव विषय | साक्षात्कार की तिथि |
|---|---|---|
| 1. | योग प्रशिक्षक, नर्स, खेल प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक (Special Educator) एवं शिक्षा सलाहकर (EducationalCounsellor) | 24.02.2024 प्रातः 9.00 बजे से |
| 2. | प्राथमिक शिक्षक | 24.02.2024 प्रातः 9.00 बजे से |
| 3. | स्नातकोत्तर शिक्षक (अंग्रेज़ी, हिन्दी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कम्प्युटर साइन्स, अर्थशास्त्र, कॉमर्स, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल) | 26.02.2024 प्रातः 9.00 बजे से |
| 4. | परिशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेज़ी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं कम्प्युटर अनुदेशक) | 26.02.2024 प्रातः 9.00 बजे से |

**नोटः** साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा/कम्प्युटर ज्ञान वांछनीय है।

**प्राचार्य**

---

## आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL
**पंजीकृत कार्यालयः** इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
**कॉर्पोरेट कार्यालयः** जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कासर वडावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे–400607

### मांग सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)
प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा

जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को की पुस्तकों में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसके बाद, (एबीएचएफएल) ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकार उनसे आह्वान किया जाता है और उनसे मांग की जाती है कि वे उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और प्रासंगिक खर्चों, लागत, शुल्क आदि के साथ पूरी बकाया राशि चुकाएं, जैसा कि उक्त मांग नोटिस में बताया गया है। हालाँकि, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, मांग सूचना प्रकाशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है:

| क्रं. सं. | उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता और गारंटर/सह–गारंटर के नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या | एनपीए की तिथि | मांग सूचना की तिथि | डिमांड नोटिस के अनुसार/तिथि के अनुसार देय राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **1. दीपक सिंह** संपत्ति नंबर आरजेड–439/12–ई, (आरजेड–439/12–डी का हिस्सा), गली नंबर 13, खसरा नंबर 438 और 439, थर्ड बियरिंग प्रा. नंबर 403, बैक साइड, छत के अधिकार के साथ उत्तरी भाग, गांव नसीरपुर, कॉलोनी जिसे कैलाश पुरी के नाम से जाना जाता है, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली–110045<br>**2. पूजा देवी** संपत्ति नंबर आरजेड–439/12–ई, (आरजेड–439/12–डी का हिस्सा), गली नंबर 13, खसरा नंबर 438 और 439, थर्ड बियरिंग प्रा. नंबर 403, पीछे की ओर, छत के अधिकार के साथ उत्तरी भाग, गांव नसीरपुर, कॉलोनी जिसे कैलाश पुरी के नाम से जाना जाता है, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली– 110045<br>**3. दीपक सिंह कैलाश पुरी,** पालम गांव, केएच नंबर– 438, 439, गली नंबर– 12, आरजेड– 439/12सी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली– 110045<br>**4. पूजा देवी कैलाश पुरी,** पालम गांव, केएच नंबर– 438, 439, गली नंबर– 12, आरजेड– 439/12सी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली– 110045<br>**5. दीपक सिंह** सी/ओ क्वालिटी कोट आरजेड–439/12सी, गली नंबर–12, कैलाशपुरी, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट, दिल्ली–110045<br>**6. पूजा देवी पारसा,** कैथली, रामपट्टी, मधुबनी, बिहार– 847236 7. दीपक सिंह सी/ओ क्वालिटी कोट एचएनओ एफएफ सी 201, पाइन कॉम्प्लेक्स, करिश्मा पार्क–1, वागरा, भरूच, गुजरात–392140<br>ऋण खाता संख्या lndel0hl–09210100278 और lndel0hl –09210100279 | 01.02.2024 | 12.02.2024 पुराना नोटिस दिनांक 10.07.2023 वापस लिया गया। इस प्रकाशन को प्रभावी सूचना माना जाए। | रु. 17,07,054/–<br>(सत्रह लाख सात हजार चौवन रूपये मात्र)<br>07.02.2024 तक बकाया मूलधन, बकाया (उपार्जित विलंब शुल्क सहित) और ब्याज के माध्यम से। |

**अचल संपत्ति का विवरण) गिरवी रखी गई संपत्तियांः** वह सारा टुकड़ा और पार्सल थर्ड फ्लोर बियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नंबर 403, जो पीछे की तरफ यानि की तरफ बना हुआ है। उत्तरी भाग अपनी छत/छत के अधिकार के साथ, निर्मित संपत्ति संख्या आरजेड–439/12ई (आरजेड–439/12–डी का हिस्सा) में से, गली नंबर 13 में, भूमि क्षेत्र माप 50 वर्ग यार्ड . अर्थात 41.805 वर्ग. मीटर, अपनी सभी भूमि और छत के अधिकारों के साथ, खसरा संख्या 438 और 439 से बाहर, ग्राम नसीरपुर, दिल्ली राज्य की राजस्व संपदा में स्थित, दिल्ली कॉलोनी जिसे कैलाश पुरी, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली–110045 के नाम से जाना जाता है, अपने सभी फ्रीहोल्ड अधिकारों के साथ भूमि की, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः उत्तरः गली 10 फीट/गली नंबर 12ई, दक्षिणः सड़क 18 फीट/गली नंबर 13 या सामने की ओर का फ्लैट, पूर्वः प्लॉट नंबर 438, पश्चिमः खाली प्लॉट।

हम यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि (राशि) और उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, ऐसा न करने पर हम स्वतंत्र होंगे, सुरक्षा हित को लागू करें, जिसमे लागत और परिणाम के अनुसार पूरी तरह से अपने जोखिम पर सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने और बेचने तक सीमित है।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा सरफेसी अधिनियम की धारा 29 औरध्या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ एबीएचएफएल का बकाया बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत किया जाता है, सुरक्षित संपत्ति एबीएचएफएल द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और एबीएचएफएल द्वारा उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांकः 17.02.2024
स्थानः दिल्ली

हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

## मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

muthoot HOUSING FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः टीसी नंबर 14/2074–7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन रोड, तिरुवनंतपुरम – 695 034,
सीआईएन नंबर – U65922KL2010PLC025624
कॉर्पोरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिणी क्रेस्केंजो, प्लॉट नंबर सी38 और सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स–जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई–400051 दूरभाष नंबरः 022–62728517, प्राधिकृत अधिकारी ईमेल आईडीः uthorized.officer@muthoot.com]
संपर्क व्यक्तिः – : गोविंद शर्मा – 9212443181

### सार्वजनिक सूचना – संपत्ति की नीलामी सह बिक्री

**प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री**

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) के अधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। उल्लिखित संपत्तियों (इसके बाद 'सुरक्षित संपत्ति' के रूप में संदर्भित) और नीचे उल्लिखित ग्राहको (इसके बाद 'उधारकर्ता' के रूप में संदर्भित) को दी गई आवास ऋण सुविधाओं के संबंध में सुरक्षा के रूप में रखी गई है और आगे सुरक्षित संपत्ति को "जैसा है जहां है" "जैसा है", "जो कुछ है" और "कोई सहारा नहीं" के आधार/शर्तें पर पर बेचने का निर्णय लिया गया है, उधारकर्ताओं से अतिदेय के अंतिम भुगतान तक अतिरिक्त ब्याज और व्यय के साथ नीचे दी गई सुरक्षित ऋण राशि के संबंध में जनता से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

| क्र. सं. | उधारकर्ता/ओं का नाम और लैन | कब्जा के प्रकार एवं दिनांक | कुल ओ/एस राशि (रु.) भविष्य ब्याज लागू | आरक्षित मूल्य | ईएमडी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लैन नंबरः 15100084676<br>1. सत्यम कुमार निरंजन सिंह,<br>2. रिबी कुमारी निरंजन सिंह | भौतिक कब्जा – 08–फरवरी–2023 | रु.11,66,906.81/– 07–फरवरी–2024 तक | रु. 10,60,000/– | रु. 1,06,000/– |

**सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति का विवरण** – एल 1056 एमआईजी, आनंद विहार वेश्व योजना, परगना हापुर, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 245101, भारत

**निरीक्षण की तारीख और समयः** 22–फरवरी–2024 और 23–फरवरी–2024 सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक
**नीलामी तिथिः** 22–मार्च–2024 प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक और बोली जमा करने की अंतिम तिथिरू 21–मार्च–2024
**बिक्री का स्थानः** बी2, फर्स्टफ्लोर, आरडीसी, राजनगर, एसबीआई बैंक के ऊपर, गाजियाबाद (ऊपर)–201001

**इच्छुक बोलीदाता ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर संपत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।**

**सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तेंः** – 1) बिक्री सख्ती से सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है और इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है। 2) संपत्ति "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा नहीं" शर्त पर बेची जाएगी, जिसमें बाधाएं भी शामिल हैं, यदि कोई हो। 3)नीलामी के तहत संपत्तियों का निरीक्षण ऊपर निर्दिष्ट तिथि और समय पर किया जा सकता है। संपत्तियों के निरीक्षण या निविदाएं जमा करने के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया उपरोक्त संपर्क नंबरों पर संबंधित स्थानों पर प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क स्थापित करें। इच्छुक खरीदार उपरोक्त संपत्ति के लिए अपने प्रस्ताव एक सीलबंद लिफाफे में "मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड" के पक्ष में मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ, आरक्षित मूल्य का 10प्रतिशत बयाना राशि जमा (ईएमडी) के साथ भेज सकते हैं। 4) प्रस्ताव दस्तावेजों के साथ, इच्छुक बोलीदाता को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की एक प्रति और बोली लगाने वाले का पहचान प्रमाण और निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी। 5) किसी भी स्थिति में संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 6)नीलामी में उपस्थित बोलीदाताओं को निर्धारित आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त अपने प्रस्ताव गुणकों को 10000/– रुपये तक बढ़ाने की अनुमति होगी। 7) सभी बकाया और व्यय, यानी, नगरपालिका कर, रखरखाव /सोसायटी शुल्क, बिजली और जल कर या स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, स्थानांतरण शुल्क और बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के संबंध में कोई अन्य खर्च और शुल्क उक्त संपत्तियों का भुगतान सफल बोलीदाता/क्रेता द्वारा किया जाएगा।8) सफल बोलीदाता/खरीदार को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के अगले कार्य दिवसों के भीतर अंतिम बोली राशि का 25प्रतिशत (पहले से भुगतान की गई ईएमडी का 10प्रतिशत समायोजित करने के बाद) भुगतान करना होगा, ऐसा न होने पर जो, बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। 9) बिक्री मूल्य का शेष 75प्रतिशत अधिकृत अधिकारी द्वारा सफल क्रेता को बिक्री की पुष्टि की सूचना देने के 15 दिनों के भीतर या लिखित रूप में सहमत विस्तारित अवधि के भीतर भुगतान करना होगा और यह पूरी तरह से उसके विवेक पर निर्भर करेगा। प्राधिकृत अधिकारी। 10) प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक के आधार पर, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिक्री के लिए इस नोटिस के किसी भी नियम और शर्त को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 11) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त सभी बोलियां मेसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ किसी भी दायित्व/दावे के बिना उन्हें वापस कर दी जाएंगी। 12) सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 13) सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/गिरवीकर्ता कृपया ध्यान दें कि यदि यहां निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो सुरक्षित ऋणदाता निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से सुरक्षा हित लागू कर सकता है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) और 9 के तहत वैधानिक 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है। उधारकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 30 दिनों के भीतर संपत्ति से अपना अनारक्षित सामान हटा लें अन्यथा इसे उनके जोखिम और लागत पर संपत्ति से हटा दिया जाएगा।

स्थानः उत्तर प्रदेश, दिनांकः 17–फरवरी–2024 हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी – मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

---

**NOTICE**

## ESCORTS KUBOTA LIMITED

Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, Haryana, 121003.

NOTICE is hereby given that the certificates for the under mentioned securities of the Company have been lost/misplaced and the holder of the said securities has applied to the Company to issue duplicate certificates.

Any person who has claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.

| Folio No. | Name of shareholder | Certificate Nos. | Distinctive Nos. From | Distinctive Nos. To | No. of Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC0018416 | Ashwin Kumar Harbanslal Gupta | 90035359 TO 90035366 | 5521037 | 5521436 | 400 |
| | | 90035368 TO 90035375 | 13359961 | 13360360 | 400 |
| | | 90035377 TO 90035386 | 19576647 | 19577146 | 500 |
| | | 90035398 TO 90035401 | 33375879 | 33375978 | 100 |
| | | 90035404 TO 90035405 | 33376029 | 33376078 | 50 |
| | | | | Total | 1450 |

Place : Haryana, Date : 17-02-2024

Ruchi Agarwal

---

## आरबीएल बैंक लि.

RBL BANK
**प्रशासनिक कार्यालयः** 1ला लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर–416001
**शाखाः** बिल्डिंग नं. 1, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज III, नई दिल्ली–110020

### दावा–रहित सामग्रियों की सूचना

जैसा कि आरबीएल बैंक के कब्जे में सीएमएम श्री पुनीत पाहवा द्वारा पारित आदेश तिथि 04.08.2023 के अनुसार सरफैसी अधिनियम, 2002 के अनुसार आवासीय सम्पत्ति **"सम्पूर्ण तीसरा तल जिसमें तीन बेडरूम आदि हैं, सम्पत्ति सं. 21, ब्लॉक "सी" (सामान्य रूप से सी–21 वर्णित), माप 167.22 वर्ग मी. (200 वर्ग याईस) जो शिवालिक, मालवीय नगर के निकट, नई दिल्ली**–110017 में स्थित है, में कार पार्किंग एरिया के फ्रान्ट राइट साइड में 7'×15' के एक कार पार्किंग स्थान के साथ टैरेस में एकाकी अधिकार के साथ उक्त सम्पत्ति का आधिपत्य निहित है तथा कानून के अनुसार वह नीलामी की प्रक्रिया के अधीन है। उक्त सम्पत्ति में उपभोक्ता सामग्री के रूप में कुछ दावा–रहित सामग्रियाँ पड़ी हैं जिस पर बैंक का कोई दावा प्रभार नहीं है।

एतद्द्वारा संबंधित स्वामी एवं/अथवा स्टेक धारक को निर्देश दिया जाता है कि 23 **फरवरी,** 24 को या उससे पूर्व दावा–रहित सामग्रियों को हटा लें अन्यथा सामग्रियो के स्वामी की लागत तथा परिणामों पर अधोहस्ताक्षरी की इच्छा पर उन सामग्रियों की बिक्री कर दी जायेगी।

स्थानः दिल्ली
तिथिः 16.02.2024

**प्राधिकृत अधिकारी**
आरबीएल बैंक लि.

---

## कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

संपत्ति की ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र, पिन कोड–400 051 शाखा कार्यालयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर 125, नोएडा यूपी–201313

### अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका आधिपत्य कोटक महिंद्रा बैंक लि. (केएमबीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **24.01.2024** को ग्रहण कर लिया गया है, तथा और "एफआईएचएफसीएल" द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण आवंटन के अनुसरण में, उसे अब **22.03.2024** को दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "यहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा। यह विक्रय जो होगा वह श्री **नबी मोहम्मद, और श्रीमती शबनम** से कोटक महिंद्रा बैंक लि., सुरक्षित लेनदार को देय ऋण खाता संख्या 600107210445407 के तहत 12.02.2024 तक रु. 31,06,346/– (इकतीस लाख छह हजार तीन सौ छियालीस रुपये मात्र) एवं 13.02.2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू भविष्य के ब्याज के साथ लागत और शुल्क की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य रु.15,00,000/– (पंद्रह लाख रुपये मात्र) और बयाना राशि रु.1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) होगी। और केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 21–03–2024 को सायं 6:00 बजे (आईएसटी) तक होगी। संपत्ति का विवरणः– दीप अपार्टमेंट XIV" आवासीय प्लॉट संख्या ए–8/2, डी.एल.एफ. अंकुर विहार ग्राम लोनी, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित फ्लैट नंबर 303 एच.आई.जी., दूसरी मंजिल, छत/छज्जा के अधिकार के साथ, पीछे की तरफ जिसमें 1 ड्राइंग/डाइनिंग रूम, तीन बेडरूम, दो शौचालय, 1 रसोई और 1 बालकनी का निर्माण किया गया है, कुल , और जिसका आच्छादित क्षेत्रफल 650 वर्ग फुट यानि 60.38 वर्ग मीटर है वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा और अंश। उक्त फ्लैट में 3 मंजिला इमारत (जी+2) शामिल है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार सार्वजानिक ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता **श्री अंकित सोलंकी** (+91 7302111608), (+91 9152219751)ए **नकुल गुप्ता (+919811882274), श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402) और श्री राजेंद्र दहिया (+91 8448264515) से संपर्क कर सकते हैं।** बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.kotak.com** तथा/अथवा **https://bankauctions.in/** पर उपलब्ध लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** देखें।

स्थानः गाजियाबाद दिनांकः 17.02.2024

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

---

प्रपत्र 'ए'
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2017 का विनियम 14]

## "प्रोफेशनल वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड" के हितधारकों के ध्यानार्थ

| | प्रासंगिक विवरण | |
|---|---|---|
| 1. | कार्पोरेट व्यक्ति का नाम | प्रोफेशनल वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि | 20/04/2015 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है | कार्पोरेट मंत्रालय, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली |
| 4. | कार्पोरेट व्यक्ति की कार्पोरेट पहचान संख्या | यू72300डीएल2015पीटीसी279252 |
| 5. | कार्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय का पता | बी–811, एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स, दिल्ली–110049 |
| 6. | कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन होने की आरंभ तिथि | 14.02.2024 |
| 7. | परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता, टेलीफोन नंबर तथा परिसमापक का रजिस्ट्रेशन नम्बर | नाम : सुमन पांडे<br>पता : 2ई/207, द्वितीय तल, कैक्सटन हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055<br>ई–मेल आई डी :<br>ip.sumanpandey@gmail.com<br>मोबाइल नंबर : 9654772642<br>आई.पी. रजि. नंबर :<br>IBBI/IPA-002/IP-N01218/2022-23/14219 |
| 8. | दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि | 14.03.2024 |

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रोफेशनल वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 14–02–2024 को स्वैच्छिक परिसमापन आरंभ किया है।

प्रोफेशनल वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 14–03–2024 को अथवा पूर्व परिसमापक के समक्ष ऊपर आइटम 7 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी हितधारक अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

तिथि : 14–02–2024
स्थान : नई दिल्ली

सुमन पांडे
परिसमापक
IBBI/IPA-002/IP-N01218/2022-23/14219

---

**प्रपत्र–जी**
के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

## वरूथा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड भूमि विकास में कार्य कार्यरत

(भारतीय दिवालियापन और ऋणशोधनाक्षमता बोर्ड के विनियम 36ए के उप–विनियम (1) के तहत)
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

| | प्रासंगिक विवरण | |
|---|---|---|
| 1. | पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नामः | वरूथा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड<br>पैन : U70200WB2018PTC228606 |
| 2. | पंजीकृत कार्यालय का पताः | **पंजीकृत कार्यालयः** यूनिट नं. 709, 7वीं मंजिल, मर्लिन इनफिनिट डीएन–51, सेक्टर–V, साल्ट लेक सिटी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता–700091<br>**खातों की पुस्तकः** ट्रिनिटी टॉवर, चौथी मंजिल, कमरा नंबर 6, 83 टॉप्सिया रोड (दक्षिण), पश्चिम बंगाल, कोलकाता–700046 |
| 3. | वेबसाइट का यूआरएलः | एनए |
| 4. | उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैंः | ग्राम तिगरा, घाटा और नंगली उमरपुर, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित 9.2625 एकड़ भूमि |
| 5. | मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता : | एनए |
| 6. | पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य : | अंतिम उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुसारः मात्राः एनए । परिचालन से राजस्वः भा. रु. 1,59,400/– |
| 7. | कर्मचारियों/कामगारों की संख्या : | शून्य |
| 8. | दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची, आगामी घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियाँ प्रक्रिया यहां उपलब्ध हैः | https://drive.google.com/drive/folders/1pPsaGz_cp3y 31WUQSqKvk4L0ZM_9C4ek?usp=drive_link |
| 9. | संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध हैः | https://drive.google.com/drive/folders/1pPsaGz_cp3y 31WUQSqKvk4L0ZM_9C4ek?usp=drive_link |
| 10. | रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथिः | 04 मार्च 2024 |
| 11. | संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथिः | 14 मार्च 2024 |
| 12. | अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथिः | 19 मार्च 2024 |
| 13. | संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि | 29 मार्च 2024 |
| 14. | संभावित समाधान आवेदकों के लिए सूचना ज्ञापन जारी करने की तिथि, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध | 3 अप्रैल 2024 |
| 15. | समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 3 मई 2024 |
| 16. | अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी : | cirp.varutha@gmail.com |

अनिल कुमार मित्तल
रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल, कृते वरुथा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
रजि. नंबरः IBBI/IPA-002/IP-N00742/2018-2019/12263
आईबीबीआई रजि. पताः 5/99, सेक्टर–2, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201005
पत्राचार का पताः 905, 9वीं मंजिल, टॉवर सी, यूनिटेक बिजनेस जोन निर्वाण कंट्री, सेक्टर–50, गुड़गांव–122018, ईमेलः cirp.varutha@gmail.com
एएफए नंबरः ।2/12263/02/130924/202855 वैधता : 13.09.2024 तक

दिनांकः 17.02.2024
स्थानः कोलकाता

---

## कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED
**पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः** 502, टॉवर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013, **परिमंडल कार्यालयः** 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

### परिशिष्ट IV अधिग्रहण सूचना (अचल सपंत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को मांग सूचना(एं) निर्गत की थी, जिसमें सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह यहां इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु सीजीएचएफएल के प्रभाराधीन होगा।

| क्र. सं. | ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम | प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण | मांग सूचना तिथि एवं राशि | अधिग्रहण की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (ऋण खाता संख्या LNCGHGURHL0000000408, **हमारी गुड़गांव शाखा की)**<br>**रियाज खान** (ऋणकर्ता)<br>**श्रीमती मनीषा** (सह–ऋणकर्ता) | निर्मित संपत्ति सं. 225 के समस्त भाग तथा अंश, क्षेत्र माप 75 वर्ग गज, खसरा सं. 141 का भाग, ग्राम बिजवासन के पुराने लाल डोरा, नई दिल्ली में स्थित, निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– निआसीबुद्दीन और दौलत राम की संपत्ति, पश्चिम– श्री जीत सिंह की संपत्ति, उत्तर– रास्ता, दक्षिण– खुला स्थान (चौक)। | 09–12–2023<br>रु.<br>17,31,144/– | 16–02–2024 |

स्थानः दिल्ली/राराक्षे, दिनांकः 17–फर.–2024 हस्ता./–(प्राधिकृत अधिकारी) कृते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)

---

## सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SAVE Inclusion Growth Prosperity
(पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
कार्यालयः यूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली–110075, ई–मेलः info@newhabitat.in, info@savehfl.in
वेबः www.savehfl.in, मो.: +91-9999694526

### वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (सरफैसी), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह ऋणधारकों द्वारा प्राप्त ऋणों जो नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित शेष बकाये के साथ एनीए बन चुका है, के संदर्भ में। हमने पहले ही स्पीड पोस्ट द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (सरफैसी), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें मांग सूचना का विवरण जारी किया था। हमने, यदि आप 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं, तो सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से एक के स्वामित्व की प्रतिभूतियों का कब्जा करने की अपनी मंशा दर्शा दी थी। यदि आप यहां नीचे वर्णित देयता का निष्पादन नहीं करते हैं तो सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के माध्यम से प्रदत्त किसी एक अधिकारों को प्रयोग कर सकता है तथा सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत तथा वांछित रूप में इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य पद्धति में कब्जा सूचना/नीलामी सूचना प्रकाशित करने के अतिरिक्त सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर आपका फोटोग्राफ भी प्रकाशित कर सकता है। विवरण इस प्रकार है:

| Sr. No. | Name of the Borrowers/Co-Borrowers and Date of NPA | Date of Demand Notice, Amount Outstanding | Details of Secured Assets |
|---|---|---|---|
| 1. | ऋण खाता संख्या **HSG/N/HEA/NSP/0118/0018** जिसे 29/01/2024 को एनपीए वर्गीकृत किया गया है। **1. श्री अनुज तिवारी पुत्र श्री रमाकांत तिवारी** एवं **2. श्रीमती स्नेहा पत्नी श्री अनुज तिवारी** दोनों फ्लैट नंबर एफ–3 (प्रथम तल), प्लॉट नंबर 116, गली नंबर 4, मुख्य श्याम पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद–201005 **इसके अलावा**– मकान नंबर ई–144, प्रथम तल, ब्लॉक–ई, मोहल्ला लाजपत नगर, मोहन नगर–5, साहिबाबाद गाजियाबाद–201007 | **14/02/2024**<br>**Rs.13,63,918/-** | आवासीय फ्लैट नंबर एफ–3 (प्रथम तल) (छत के अधिकार के बिना) जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी 41.805 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 50 वर्ग गज यानी 41.805 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 116 पर निर्मित, आवासीय कॉलोनी श्याम पार्क मुख्य हदबस्त गांव साहिबाबाद, गाजियाबाद, परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद। |

उपरोक्त ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों को सलाह दी जाती कि 1) अधिक तथा सम्पूर्ण विविरणों के लिये अधोहस्ताक्षरी से मूल सूचना प्राप्त करें, तथा 2) सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कारवाई से बचने के लिये उपरोक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज तथा लागत आदि के साथ शेष बकाये राशि का भुगतान करें।

दिनांक 17–02–2024, स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

Sponsored by:
DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)
My Handicraft My Pride
Ministry of Textiles Government of India
Organized by:
Joint Hands (All India Voluntary Organization)

## गाँधी शिल्प बाजार

### प्रदर्शनी एवं बिक्री

संपूर्ण भारतवर्ष के हस्तशिल्प का अनोखा संगम

दिनांक : 16–2–2024 से 25–2–2024 तक
समय : प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक
स्थान : दिल्ली हाट, पीतमपुरा (नियर टीवी टावर), नई दिल्ली

प्रमुख शिल्प

ज्वेलरी, लैदर शिल्प, बॉस, टेराकोटा, काष्ठ शिल्प, कारपेट, जूट, भागलपूरी सिल्क, मिथिला पेंटिंग, फर्नीचर, काशिदाकारी सूट, स्टोन कारभिग, फर्नीचर, राजस्थानी जूती, गुजराती सूट–साड़ी, सिक्की घास शिल्प, लाख चूड़ी, बनारसी साड़ी, इत्यादि

---

## मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

सीआईएनः L65999DL1985PLC022321
पंजीकृत कार्यालयः 1, कॉम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065
वेबसाइटः www.maxpluslogisticslimited.com, मेल आईडीः Sanjeev.chandra@gmail.com

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अन–अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण (लाख रूपये में)

| क्रं. सं. | विवरण | तीन महीने समाप्त 31.12.2023 (समीक्षा) | तीन महीने समाप्त 30.09.2023 (समीक्षा) | तीन महीने समाप्त 31.12.2022 (समीक्षा) | नौ महीने समाप्त 31.12.2023 (समीक्षा) | नौ महीने समाप्त 31.12.2022 (समीक्षा) | वर्ष समाप्त 31.03.2023 (ऑडिटेड) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | परिचालन से कुल आय | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ /(हानि) (कर, असाधारण और/या असाधारण मद से पहले) | 0.24 | (1.94) | (2.14) | (3.15) | (7.14) | (10.37) |
| 3. | कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तु के बाद) | 0.24 | (1.94) | (2.14) | (3.15) | (7.14) | (10.37) |
| 4. | कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ /(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तु के बाद) | 0.24 | (1.94) | (2.14) | (3.15) | (7.14) | (10.37) |
| 5. | अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल] | 0.24 | (1.94) | (2.14) | (3.15) | (7.14) | (22.11) |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी | 383.45 | 383.45 | 383.45 | 383.45 | 383.45 | 383.45 |
| 7. | अन्य इक्विटी | (370.21) | | | (370.21) | | (365.18) |
| 8. | प्रति शेयर आय (प्रत्येक का अंकित मूल्य रु.10/–) मूल और तरल | 0.01 | (0.05) | (0.06) | (0.08) | (0.19) | (0.58) |

नोटः–
1. उपरोक्त विस्तृत त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का एक उद्धरण है जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा 14.02.2024 को आयोजित अपनी बैठक में अपनाया गया है, निदेशक मंडल द्वारा 14.02.2024 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है और वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा की गई है। और सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर किया गया है। ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट यानी www.msei.in और कंपनी की वेबसाइट यानी maxpluslogisticslimited.com. पर उपलब्ध है।
2. ये वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और उसके बाद प्रासंगिक संशोधन नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछली अवधि औरध्या वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत या पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
4. निवेशकों की प्राप्त शिकायतों की संख्यारू शून्य, निपटानः शून्य, लंबितः शून्य

बोर्ड की आज्ञानुसार
मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
संजीव चंद्रा
निदेशक
डीआईएन–00095561

स्थान :नई दिल्ली
दिनांकः 14.02.2024

---

## कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

**पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 सर्किल कार्यालय :- 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060**

### मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के अधीन। अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) ("उक्त कर्जदार(रों)") से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशियां, जो नीचे भी दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा, उक्त कर्जदार(रों) को, एक बार पुनः, यहां नीचे दी गई राशियों का भुगतान सीजीसीएल को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक, ऋण अनुबंध के साथ पठित अन्य दस्तावेजो/प्रलेखों, यदि कोई, जो उक्त कर्जदार(रों) द्वारा निष्पादित किया गया है, के तहत देय आगे ब्याज सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने हेतु सूचना दी जाती है। उक्त कर्जदार(रों) द्वारा ऋण की प्रतिभूति के लिए निम्नलिखित आस्तियां सीजीसीएल के पास बंधक रखी गई हैं।

| क्र. सं. | कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) का नाम | मांग सूचना तिथि और राशि | प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति) |
|---|---|---|---|
| 1. | (ऋण खाता संख्या **LNMENOI000030698** नोएडा शाखा) इंदर सिंह (कर्जदार) श्रीमती रमन आर, राहुल नागर (सह–कर्जदार) | 07–02–2024<br>रू.<br>37,90,234/– | **"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** प्लॉट भू क्षेत्रफल परिमाप 200 वर्ग गज, खाता नंबर 433, खसरा नंबर 108 के अंतर्गत, स्थित ग्राम अछेजा, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–203207. चौहद्दी निम्नानुसार – पूरब : विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम : प्रेम सिंह का मकान, उत्तर : 14 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : डा. जयचंद का प्लॉट" |
| 2. | (ऋण खाता संख्या **LNCGCJPGTL0000003123** झंडेवालान पीजी शाखा) महिन्दर सिंह (कर्जदार) श्रीमती अमरजीत कौर (सह–कर्जदार) | 07–02–2024<br>रू.<br>23,47,933/– | **"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति सं. 5डी/110, (क्षेत्रफल परिमाप 43 वर्ग गज जो 120.6 वर्ग गज का अंश है), स्थित न्यू टाउनशिप, एनएच–5, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा–121001. चौहद्दी निम्नानुसार – उत्तर : सम्पत्ति सं. 5डी/110 का शेष भाग, दक्षिण : सम्पत्ति सं. 5डी/110 का शेष भाग, पूरब : सम्पत्ति सं. 5डी/111, पश्चिम : 60 फीट चौड़ी रोड" |
| 3. | (ऋण खाता संख्या **LNMERDR000110254** रूद्रपुर शाखा) श्री ओमपाल सिंह चौहान (कर्जदार) श्रीमती चित्रा चौहान (सह–कर्जदार) | 09–02–2024<br>रू.<br>31,57,133/– | **"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** सम्पत्ति नगरपालिका नंबर 2/19, क्षेत्रफल परिमाप 231.97 वर्ग मीटर, ग्राम मोहल्ला अहारपुरा, महुआ खेड़ागंज, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड–244713. चौहद्दी निम्नानुसार – पूरब : भूदेव का मकान, पश्चिम : तिरमल सिंह का मकान, उत्तर : 18 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : 9 फीट चौड़ी रोड और तिरमल सिंह का मकान" |
| 4. | (ऋण खाता संख्या **LNCGCPURTL0000008671** चांदनी चौक शाखा) संजीव राठौर (कर्जदार) श्रीमती अर्चना राठौर (सह–कर्जदार) शुभम राठौर (सह–कर्जदार) | 07–02–2024<br>रू.<br>25,37,371/– | **"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** ईस्ट लक्ष्मी नगर, ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110092 की आबादी में स्थित किला नंबर 36/24 का अंश रूप सम्पत्ति सं. 85–ए के भाग, अब 85–बी के रूप में ज्ञात, का तृतीय तल, क्षेत्रफल परिमाप 50 वर्ग गज यानी 41.8 वर्ग मीटर, छत के अधिकार तथा कॉमन स्टेयर्स, रास्ता, प्रवेश के अधिकार सहित बिल्डिंग के नीचे भूमि में यथानुपात हिस्सा के अलावा वहां मौजूद सभी सामान्य सुविधाओं/सुख–सुविधाओं के अधिकार सहित" |
| 5. | (ऋण खाता संख्या **LNMEMAY000044531** मयूर विहार शाखा) सतीश कुमार (कर्जदार) श्रीमती रेखा के बैसोया (सह–कर्जदार) | 07–02–2024<br>रू.<br>31,94,522/– | **सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** निर्मित सम्पत्ति सं. 21–सी, क्षेत्रफल परिमाप 746 वर्ग फीट, खसरा नंबर 9, स्थित कोटला मुबारकपुर, अलीगंज, तहसील हौजखास (मेहरौली), नई दिल्ली–110003 |
| 6. | (ऋण खाता संख्या **LNMEAZD000025235** आजादपुर शाखा) सत्य प्रकाश (कर्जदार) श्रीमती रेणु देवी (सह–कर्जदार) | 07–02–2024<br>रू.<br>28,79,601/– | **"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** सम्पत्ति परिमाप 60 वर्ग गज, खसरा नंबर 182 का भाग, ग्राम गिझोड़, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301. पूरब : उत्तम का प्लॉट, पश्चिम : 17 फीट चौड़ी गली, उत्तर : राजाराम का प्लॉट, दक्षिण : 8 फीट चौड़ी गली" |
| 7. | (ऋण खाता संख्या **LNCGCDELTL0000006196** दिल्ली शाखा) मैसर्स शक्ति एंटरप्राइजेज ऐंड मार्केट कम्पनी (इसके स्वामी के माध्यम से) (कर्जदार) रीतेश कुमार, श्रीमती पिंकी कुमारी, रमा नाथ झा (सह–कर्जदार) शुभम राठौर (सह–कर्जदार) | 07–02–2024<br>रू.<br>20,14,958/– | **"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** आवासीय सम्पत्ति सं. 717 (क्षेत्रफल परिमाप 57.555 वर्ग गज) झंडापुर, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010. चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : योगेन्द्र का मकान, पश्चिम : 8 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : राम देव भगत का मकान, दक्षिण : उर्मिला देवी का मकान" |
| 8. | (ऋण खाता संख्या **LNCGCJKPTL0000005531** एवं **LNCGCFRDTL0000003658** जनकपुरी एवं फरीदाबाद शाखा) मैसर्स राज एक्सपोर्ट्स (इसके स्वामी के माध्यम से) (कर्जदार) राज कुमार, श्रीमती रजनी, राकेश कुमार (सह–कर्जदार) शुभम राठौर (सह–कर्जदार) | 12–02–2024<br>रू.<br>23,66,493/– | **सम्पत्ति सं. 1 :–** सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति कार्यालय सं. एसएफ–02, द्वितीय तल (क्षेत्रफल परिमाप 12.63 वर्ग मीटर) स्थित कॉमर्शियल प्लॉट नंबर 7 (क्षेत्रफल परिमाप 297.68 वर्ग मीटर), निकट पुराना बस स्टैंड, अम्बेडकर रोड, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201301. प्लॉट नंबर 7 की चौहद्दी निम्नानुसार : उत्तर : प्लॉट नंबर 8, दक्षिण : 40 फीट चौड़ी रोड, पूरब : 25 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम : पार्किंग<br>**सम्पत्ति सं. 2 :–** सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट नंबर 158 तथा 159 (क्षेत्रफल परिमाप 162 वर्ग गज यानी 135.44 वर्ग मीटर) स्थित खसरा नंबर 1331, रतन एन्क्लेव, ग्राम रईसपुर, परगना डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद–201005. चौहद्दी निम्नानुसार : उत्तर : प्लॉट नंबर 156 एवं 157, दक्षिण : प्लॉट का बाकी हिस्सा, पूरब : प्लॉट नंबर 152 एवं 153, पश्चिम : 20 फीट चौड़ी रोड |

यदि उक्त कर्जदार सीजीसीएल को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहेंगे, सीजीसीएल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। उक्त कर्जदार उक्त अधिनियम के तहत, सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त आस्तियां बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरित नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा तदधीन विरचित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन हेतु अभिप्रेरित करता है, उक्त अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा/अथवा आर्थिक दण्ड का भागी होगा।

**स्थान : नोएडा, झंडेवालान-पीजी, रूद्रपुर, चांदनी चौक, मयूर विहार, आजादपुर, दिल्ली, जनकपुरी एवं फरीदाबाद,**
तिथि : 17-02-2024

हस्ता./-, (प्राधिकृत अधिकारी)
वास्ते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजी